

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला. चौकी एसीबी, भीलवाडा- द्वितीय, थाना. सीपीएस, एसीबी, जयपुर वर्ष - 2022
प्र. ई. रि. स. 57/22 दिनांक 23/02/2022
(अ) अधिनियम. भ्र. नि. अधिनियम धाराये :- 7 पी.सी. एक्ट 2018 (संशोधित)
(ब) अधिनियम..... धारायें
(स) अधिनियम धारायें.....
(द) अन्य अधिनियम एवं धारायें
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 495 समय 5:50 PM
(ब) अपराध घटने का दिन-दिनांक :- शुक्रवार दिनांक 07.01.2022 समय 11.50 ए.एम.
(स) थाना/चौकी पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 06.01.2022 समय. 02:30 पी.एम.
4. सूचना की किस्म :- लिखित/मौखिक - लिखित
5. घटनास्थल :-
(अ) पुलिस चौकी से दिशा व दूरी - उत्तर-पूर्व बफासला करीब 60 कि.मी.
(ब) पता - ग्राम पंचायत डाबला चांदा, पंचायत समिति शाहपुरा, जिला-भीलवाडा
बीट संख्या जरायमदेही सं.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना..... जिला.....
6. परिवादी/सूचनाकर्ता :-
(अ) नाम - श्री सांवरा लाल मीणा
(ब) पिता का नाम.... श्री सुगना मीणा
(स) जन्म तिथि /वर्ष 30 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता..... भारतीय
(य) पासपोर्ट संख्या जारी होने की तिथी.....
जारी होने की जगह.....
(र) व्यवसाय:- व्यापार
(ल) पता- निवासी ग्राम - गुरु जी का खेडा, ग्राम पंचायत डाबला चांदा, पंचायत समिति शाहपुरा, जिला भीलवाडा।
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :-
श्री घनश्याम लाल खटीक पुत्र श्री देवबक्ष खटीक उम्र 59 साल निवासी सन्तोष नगर, पुलिस थाना जहाजपुर जिला भीलवाडा हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत डाबला चांदा, पंचायत समिति शाहपुरा, जिला भीलवाडा।
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :- कोई नहीं ...
चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या
(अगर हो तो)

10. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट – (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)

सेवा में,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाडा
कृषि उपज मंडी

विषय:- कानूनी कार्यवाही करने बाबत।
महोदय जी,

निवेदन है कि मैं सांवरा लाल पिता सुगना जी मीणा, निवासी गुरु जी का खेडा, ग्राम पंचायत डाबला चांदा, पंचायत समिति शाहपुरा, जिला भीलवाडा का निवासी हूँ, मैंने मेरे, मेरी पत्नी श्रीमति सीमा देवी, मेरी माँ श्रीमति मनभरी देवी के नाम से हमारे गाँव में स्थित पुस्तैनी मकान के पट्टे बनाने के लिये ग्राम पंचायत डाबला चांदा में आवेदन किया था। मैंने दिनांक 02.10.2021 को हम तीनों के पुस्तैनी मकान के पट्टे का आवेदन शुल्क 120 रुपये प्रति पट्टे के हिसाब से कुल 360 रुपये ग्राम पंचायत में जमा करा कर रसीद प्राप्त कर ली थी। मैं दिनांक 04.01.2022 को मैं मेरे व मेरी पत्नी व मेरी मां के नाम से पुस्तैनी पट्टों की जानकारी के लिये सचिव साहब श्री घनश्याम जी से मिला तो उन्होंने मेरे से कहा कि तू तीनों पट्टों के कुल 4000 रुपये लेकर आ जाना जो तेरे को पट्टे तैयार करके दे दूंगा। मैं सचिव साहब को 4000 रुपये मेरे तीनों पुस्तैनी पट्टे जारी करने की एवज में रिश्वत 4000 रुपये नहीं देना चाहता हूँ, और उन्हें रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूँ, मेरी सचिव साहब से कोई रूपयों का आपसी लेन देन नहीं है, और ना ही कोई आपसी रंजिश है। ट्रैप की कार्यवाही करवाने के लिये मैंने मेरी मां व मेरी पत्नी को सारी बात बताकर उनसे मौखिक सहमति ले ली है।

रिपोर्ट करता हूँ कार्यवाही करें।

दिनांक :- 06.01.2022

प्रार्थी

एसडी सांवरा लाल
सांवरा लाल पिता सुगना जी मीणा, निवासी
गुरु जी का खेडा, ग्राम पंचायत डाबला चांदा,
पंचायत समिति शाहपुरा, जिला भीलवाडा
मो.न. 63787-14029

श्री शिव प्रकाश
(पु.उ.अ.)
विधिक कार्यवाही करावें।
एसडी ब्रजराज सिंह
एसडी देवेन्द्र कुमार चौधरी 27/1/2022
एस डी सोनू माली 27/1/22 .

कार्यवाही पुलिस भ्रनिब्यूरो भीलवाडा द्वितीय

दिनांक 06.01.2022 समय 02.30 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक शिवप्रकाश को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री ब्रजराज सिंह भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाडा-द्वितीय ने परिवादी श्री सांवरा लाल पिता सुगना जी मीणा, निवासी गुरु जी का खेडा, ग्राम पंचायत डाबला चांदा, पंचायत समिति शाहपुरा, जिला भीलवाडा द्वारा पेश शुदा टाईपशुदा रिपोर्ट मुझ पुलिस उप अधीक्षक को उनके कक्ष में बुलाकर आवश्यक कार्यवाही का पृष्ठाकन कर मुझ पुलिस उप अधीक्षक को मय परिवादी के सुपूर्द की। मन् पुलिस उप अधीक्षक ने परिवादी श्री सांवरा लाल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को पढ़कर परिवादी को सुनाई गई तो परिवादी ने रिपोर्ट में अंकित तथ्यों का

सही होना व रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर होना बताया। रिपोर्ट में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में मुझे पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दरियाप्त की गई। परिवादी ने बताया कि मैंने मेरे, मेरी पत्नी श्रीमति सीमा देवी, मेरी माँ श्रीमति मनभरी देवी के नाम से हमारे गाँव में स्थित पुस्तैनी मकान के पट्टे बनाने के लिये ग्राम पंचायत डाबला चांदा में आवेदन किया था। मैंने दिनांक 02.10.2021 को हम तीनों के पुस्तैनी मकान के पट्टे का आवेदन शुल्क 120 रुपये प्रति पट्टे के हिसाब से कुल 360 रुपये ग्राम पंचायत में जमा करा कर रसीद प्राप्त कर ली थी। मैं दिनांक 04.01.2022 को मैं मेरे व मेरी पत्नी व मेरी माँ के नाम से पुस्तैनी पट्टों की जानकारी के लिये सचिव साहब श्री घनश्याम जी से मिला तो उन्होंने मेरे से कहा कि तू तीनों पट्टों के कुल 4000 रुपये लेकर आ जाना जो तेरे को पट्टे तैयार करके दे दूंगा। मैं सचिव साहब को मेरे तीनों पुस्तैनी पट्टे जारी करने की एवज में रिश्वत 4000 रुपये नहीं देना चाहता हूँ, और उन्हें रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूँ, मेरा सचिव साहब से कोई रूपयों का आपसी लेन देन नहीं है, और ना ही कोई आपसी रंजिश है। ट्रैप की कार्यवाही करवाने के लिये मैंने मेरी माँ व मेरी पत्नी को सारी बात बताकर उनसे मौखिक सहमति ले ली है। मजमुन रिपोर्ट व परिवादी से दरियाप्त पर मामला रिश्वत राशि लेन-देन का होकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधन) 2018 का प्रथम दृष्टिया पाया जाता है, अतः अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की। समय 02.45 पी.एम पर श्री रामेश्वर लाल कानि 250 को तलब कर मालखाने से सरकारी वॉईस रिकॉर्डर व एक नया मेमोरी कार्ड निकवाया। परिवादी श्री सांवरा लाल मीणा को वॉईस रिकॉर्डर चालू व बन्द करना सिखाया। परिवादी को रिश्वत राशि मांग सत्यापन के मन्तव्य से अवगत कराया गया तो परिवादी ने बताया कि मैं कल सुबह ही मांग सत्यापन की कार्यवाही करवा देता हूँ। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक ने श्री रामेश्वर लाल कानि. व परिवादी का आपस में परिचय करवाया जाकर दोनों के मोबाईल नम्बरों का आपस में आदान-प्रदान करवाया गया। परिवादी को मन् पुलिस उप अधीक्षक के मोबाईल नम्बर लिखकर दिये। श्री रामेश्वर लाल कानि. 250 से सरकारी वॉईस रिकॉर्डर व मेमोरी कार्ड को पुनः मालखाने में सुरक्षित रखवाया। समय 03.15 पी.एम पर परिवादी सांवरा लाल मीणा ने बताया कि मैं कल सुबह 10 बजे आमली बंगला चौराया पर मिल जाऊंगा, आप रामेश्वर लाल जी को वही भेज देना, जिस पर श्री रामेश्वर लाल कानि को निर्देश दिये कि वह कल दिनांक 07.01.2022 को 10.00 ए.एम. पर आमली बंगला चौराया पहुँच परिवादी से सम्पर्क करें। परिवादी श्री सांवरा लाल मीणा को दिनांक 07.01.2022 को प्रातः 10.00 बजे पर आमली बंगला चौराया पर उपस्थित मिलने के लिये पाबन्द कर हिदायत कर रखसत किया। दिनांक 07.01.2022 समय 08.00 ए.एम पर श्री रामेश्वर लाल कानि से मालखाने से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड निकलवा कर सिपुर्द कर आमली बंगला चौराया पहुँच परिवादी श्री सांवरा लाल मीणा से सम्पर्क कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन कार्यवाही करवाने हेतु हिदायत कर रवाना आमली बंगला चौराया किया। समय 03.30 पी.एम पर श्री रामेश्वर लाल कानि कार्यालय में उपस्थित आया कानि. ने वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड प्रस्तुत कर बताया कि आज प्रातः 08.00 बजे मैं कार्यालय से रवाना होकर करीब 11.00 बजे बस से आमली बंगला चौराया पहुँचा, जहाँ मुझे परिवादी उसकी मोटर साईकिल सहित आमली बंगला चौराया पर उपस्थित आया। फिर मैं व परिवादी उसकी मोटर साईकिल से आमली बंगला चौराया से रवाना होकर ग्राम पंचायत डाबला चांदा के पास पहुँचे, मैंने परिवादी को वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड चालू कर सूपूर्द कर आरोपी से वार्ता हेतु उसकी मोटरसाईकिल से रवाना कर मैं वहाँ साईड में खड़ा हो गया। परिवादी सांवरा लाल मीणा ग्राम पंचायत डाबला चांदा में प्रवेश होता दिखाई दिया। मैं परिवादी को दूर से ही जाते हुये को देखता रहा। करीब 10 मिनट बाद परिवादी मेरे पास वापस आया। परिवादी ने चालू डिजिटल वॉयस रिकार्डर मुझे पेश किया जिसे मैंने बंद किया। परिवादी ने मुझे बताया कि मैंने ग्राम पंचायत डाबला चांदा पहुँच सचिव साहब घनश्याम जी से मेरे, मेरी पत्नी व मेरी माँ के नाम से हमारे पुस्तैनी पट्टे बनाने के संबंध में बातचीत की, सचिव साहब ने मेरे से तीनों पट्टे बनाने का कुल खर्चा 4000 रुपये बताये, मेरे द्वारा कम की कहने पर 3600 रुपये लेने पर सहमत हुए। सचिव साहब ने कहा कि 200 रुपये प्रति पट्टे के हिसाब से तीनों पट्टों के 600 रुपये की रसीद कटेगी और 1000 रुपये प्रति पट्टे के हिसाब से कुल 3000 रुपये मेरे खर्चे के लगेंगे। परिवादी ने मुझे बताया कि मैंने मांग सत्यापन वार्ता के दौरान सचिव साहब के मांगने पर 2,000 रुपये उस समय दे दिये शेष 600 रुपये रसीद के व 1000 रुपये खर्चे के सचिव साहब को और देना तय हुआ। परिवादी ने बताया कि मैंने सरकारी डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में उक्त बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया है। परिवादी ने बताया कि मेरे घर पर सामाजिक काम होने से मैं यही रुक रहा हूँ, मेरे को सचिव साहब ने कहा कि सोमवार को पैसे लेकर आ जाना जो मैं तेरे को तीनों पट्टे बनाकर तैयार कर दे दूंगा। जिस पर परिवादी को सोमवार सुबह 8.00

बजे कार्यालय ए.सी.बी. चौकी भीलवाडा रिश्वत राशि 1000 रुपये व रसीद राशि 600 रुपये लेकर आने के लिये पाबन्द किया। परिवादी को आवश्यक हिदायत कर वही रुखस्त कर रिकॉर्डशुदा वार्ता के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के डाबला चांदा से बस से रवाना हो भीलवाडा कार्यालय में उपस्थित आया। तत्पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक ने रामेश्वर लाल कानि द्वारा पेश शुदा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में दर्ज रिकॉर्ड माँग सत्यापन वार्ता को चालुकर सुना तो रिश्वत राशि का माँग सत्यापन होना पाया गया। वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को कार्यालय के मालखाना में श्री रामेश्वर लाल कानि. से सुरक्षित रखवाया गया। दिनांक 10.01.2022, 11.01.2022, 12.01.2022, 17.01.2022 को परिवादी से सम्पर्क कर ट्रैप के प्रयास किये पर आरोपी के राज कार्य में बाहर होने व परिवार में कोविड पोजिटिव होने से आरोपी के कार्यालय नहीं आने से ट्रैप कार्यवाही नहीं की जा सकी। दिनांक 25.01.2022 समय 12.10 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक ने परिवादी श्री सांवरा लाल मीणा से जरिये फोन वार्ता की तो परिवादी ने बताया कि मैंने ग्राम पंचायत में जाकर मालुम की तो पता चला कि मेरे पट्टे सचिव साहब ने तैयार कर दिये हैं पर उनके परिवार में कोई परिवारजन कोरोना पॉजिटिव आ जाने से व सरकारी काम से बाहर होने से ग्राम पंचायत में नहीं आ रहे हैं, पंचायत के अन्य कर्मचारी ने बताया कि सम्भवतया 27.01.2022 को ग्राम पंचायत में आयेगें। अतः आप परसो आगे की कार्यवाही कर लो, मैं आगे की ट्रैप की कार्यवाही करवा देता हूँ जिस पर परिवादी को दिनांक 27.01.2022 को प्रातः 08.00 बजे भीलवाडा ए.सी.बी. कार्यालय में 600 रुपये रसीद के व 1000 रिश्वत राशि साथ लेकर उपस्थित आने के लिये पाबन्द कर गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत की गई। दिनांक 27.01.2022 समय 08.00 ए.एम पर परिवादी श्री सांवरा लाल मीणा उपस्थित आया। परिवादी ने दरियाप्त पर श्री रामेश्वर लाल कानि द्वारा दिनांक 07.01.2022 को बताये गये तथ्यों की पुनरावृत्ति कर ताईद की। दिनांक 27.01.2022 को स्वतन्त्र गवाह श्री सोनू माली हाल कनिष्ठ सहायक, जल संसाधन खंड प्रथम, भीलवाडा, श्री देवेन्द्र कुमार चौधरी हाल वरिष्ठ सहायक, जल संसाधन खंड द्वितीय, भीलवाडा को तलब कर परिवादी श्री सांवरा लाल मीणा की रिपोर्ट को दोनों गवाहान को पढकर सुनाया एवं पढाया गया। कार्यालय के मालखाना से रिश्वत राशि माँग सत्यापन की दर्ज वार्ता दिनांक 07.01.2022 के वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को श्री रामेश्वर लाल कानि से निकलवा कर रिश्वत राशि माँग सत्यापन की दर्ज वार्ता को चालुकर स्वतन्त्र गवाहान को सुनाया गया। गवाहान ने दर्ज वार्ता को सुनकर रिश्वत राशि की माँग का सत्यापन होना बताया। उक्त दोनों गवाहान ने रिपोर्ट को पढ व समझकर की जाने वाली कार्यवाही में उपस्थित रहने हेतु अपनी-अपनी सहमति प्रदान की। जिस पर परिवादी व गवाहान का आपस में परिचय करवाया गया। रिश्वत राशि माँग सत्यापन वार्ता के मेमोरी कार्ड को पुनः श्री रामेश्वर लाल कानि से कार्यालय के मालखाना में सुरक्षित रखवाया गया। समय 09.00 ए.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी सांवरा लाल मीणा को आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी श्री सांवरा लाल मीणा ने अपने पास से भारतीय चलन मुद्रा के 500 रुपये का 01 नोट, 200-200 रुपये के 02 नोट व 100 रुपये का 01 नोट कुल 1000 रुपये प्रस्तुत किये। नोटों पर मुद्रित नम्बरों को फर्द में अंकित करवा फिनोल्फथलीन पाउडर लगवा फर्द पेशकशी नोट व सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनोल्फथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर तैयार की गई। समय 09.40 ए.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय परिवादी श्री सांवरा लाल मीणा, स्वतन्त्र गवाह श्री देवेन्द्र कुमार चौधरी, श्री सोनू माली मय जाप्ता श्री गोपाल जोशी हैड कानि, श्री रामेश्वर लाल कानि 250, श्री शिवराज सिंह कानि 235, श्री प्रेमराज कानि 225 मय सरकारी वाहन बोलेरो चालक विनोद कुमार कानि मय प्राईवेट वाहन मय ट्रैप बॉक्स व डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय नया मेमोरी कार्ड, लेप टोप, प्रिन्टर, व अन्य ट्रैप सामग्री सहित वास्ते ट्रैप कार्यवाही हेतु कार्यालय से रवाना हो समय 11.00 ए.एम ग्राम पंचायत डाबला चांदा के पास पहुँचा। समय 11.10 ए.एम पर परिवादी को आरोपी की लोकेशन मालुमात करने के लिये कहा तो परिवादी श्री सांवरा लाल मीणा ने आरोपी की लोकेशन मालुमात कर बताया कि सचिव साहब के परिवार में कोरोना पॉजिटिव आ जाने से काफी दिनों से कार्यालय ग्राम पंचायत डाबला चांदा नहीं आ रहे हैं, मालुमात करने पर यह भी ज्ञात आया कि सचिव साहब अब ग्राम पंचायत डाबला चांदा नहीं आयेगे क्योंकि सम्भवतया सचिव साहब का इसी महिने की आखरी तारीख 31 जनवरी 2022 को सेवानिवृत्ति है। परिवादी ने बताया कि सचिव साहब सम्भवतया अब नहीं आयेगें। इसलिए आगे की ट्रैप कार्यवाही की सम्भावना बहुत ही कम है फिर भी मैं और पुख्ता मालुमात कर शाम तक आपको जरिये फोन आपको सूचित कर दूँगा, मेरे घर पर पारिवारिक काम होने से मैं यही रुकना चाह रहा हूँ। समय 11.40 ए.एम पर परिवादी की पेंट की दाहिनी जेब में रखे 1000 रुपये रिश्वत राशि गवाह श्री देवेन्द्र कुमार चौधरी से

निकवायी जाकर सफेद कागज में लपेटकर श्री गोपाल जोशी हैड कानि के पास पाउडर युक्त 1000 रुपये सुरक्षित रखवाये। श्री देवेन्द्र कुमार चौधरी, श्री गोपाल जोशी हैडकानि के हाथ साबुन व पानी से साफ धुलवाये गये। परिवादी को पंचायत शुल्क की राशि जो परिवादी की पेंट की बांयी जेब में रखी हुई है उस 600 रुपये राशि को परिवादी के पास ही सुरक्षित रखने की परिवादी को हिदायत की गई। परिवादी को आरोपी के बारे में पुख्ता जानकारी प्राप्त कर शाम तक सूचित करने की हिदायत कर रूखस्त किया गया। समय 12.05 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतन्त्र गवाह श्री देवेन्द्र कुमार चौधरी, श्री सोनू माली मय जाप्ता श्री गोपाल जोशी हैड कानि मय पाउडरयुक्त रिश्वती राशि 1000 रुपये मय श्री रामेश्वर लाल कानि 250, श्री शिवराज सिंह कानि 235, श्री प्रेमराज कानि 225 मय सरकारी वाहन बोलेरो चालक विनोद कुमार कानि मय प्राईवेट वाहन मय ट्रेप बॉक्स व डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय नया मेमारी कार्ड, लेप टोप, प्रिन्टर, व अन्य ट्रेप सामग्री सहित ग्राम डाबला चांदा से खाना हो शाहपुरा आवश्यक कार्य करता हुआ समय 02.45 पी.एम पर ए.सी.बी. कार्यालय भीलवाडा पहुँचा। श्री गोपाल जोशी हैड कानि के पास कागज में लपेटकर सुरक्षित रखे पाउडरयुक्त रिश्वती राशि 1000 रुपये को मालखाने में सुरक्षित रखवाया गया। समय 02.55 पी.एम पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री देवेन्द्र कुमार चौधरी, श्री सोनू माली को हिदायत कर रूखस्त किया गया। दिनांक 28.01.2022 समय 10.30 ए.एम पर परिवादी श्री सांवरा लाल मीणा उपस्थित कार्यालय आया व बताया कि श्री घनश्याम लाल खटीक, सचिव ग्राम पंचायत डाबला चांदा, पंचायत समिति शाहपुरा, जिला भीलवाडा दिनांक 31.01.2022 को सेवानिवृत्त हो रहा है। मेरे द्वारा मालुमात करने पर पता चला कि उसका बेटा कोरोना पॉजिटिव आने से कुछ दिनों से वह ग्राम पंचायत डाबला चांदा नहीं आ रहा है। जानकारी करने पर पता चला है कि अब वह ग्राम पंचायत डाबला चांदा नहीं आयेगा और 31.01.2022 को सेवानिवृत्त भी हो जायेगा। इसलिए अब आगे की ट्रेप कार्यवाही संभव नहीं हो पायेगी। आरोपी अब मेरे से रिश्वत राशि ग्रहण नहीं करेगा। जिस पर स्वतन्त्र गवाहान श्री देवेन्द्र कुमार चौधरी, श्री सोनू माली को आगे की शेष कार्यवाही हेतु जरिये फोन तलब किया जो तलविदा कार्यालय में उपस्थित आये। दोनो गवाहान को परिवादी द्वारा बताये तथ्यों से अवगत कराया जाकर प्रकरण में शेष कार्यवाही प्रारम्भ की गई। समय 11.45 ए.एम पर स्वतंत्र गवाहान श्री देवेन्द्र कुमार चौधरी, श्री सोनू माली व परिवादी श्री सांवरा लाल मीणा की मौजूदगी में एसीबी कार्यालय भीलवाडा द्वितीय के मालखाना में सुरक्षित रखी हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन की दर्ज शुदा वार्ता दिनांक 07.01.2022 के वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को श्री गोपाल जोशी हैडकानि. से निकलवाया जाकर दिनांक 07.01.2022 को बरूबर परिवादी श्री सांवरा लाल मीणा व आरोपी श्री घनश्याम लाल खटीक, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत डाबला चांदा, पंचायत समिति शाहपुरा, जिला भीलवाडा के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो ब्यूरो के उक्त वॉइस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में दर्ज हैं। वॉइस रिकॉर्डर को चालुकर गवाहान व परिवादी के समक्ष शब्द-ब-शब्द सुन कम्प्यूटर की सहायता से श्री गोपाल जोशी हैडकानि. की मदद से फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। वॉयस रिकॉर्डर में दर्ज उक्त वार्ता की कम्प्यूटर की सहायता से श्री गोपाल जोशी हैडकानि. की मदद से 04 सीडीयां बनाई जाकर मार्क "A" अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराए जाकर 02 सीडियों को पृथक-पृथक कागज के लिफाफे में रख इन्हे सफेद कपडे की थैलियों में रख पृथक-पृथक सिल्डचिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये गये व 02 अन्य सीडियों को पृथक-पृथक कागज के लिफाफे में रखी गई। समय 01.30 पी.एम पर दिनांक 07.01.2022 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जिसे ब्यूरो के वॉयस रिकॉर्डर के मेमारी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था। जो मूल ही एक मेमोरी कार्ड 16 जी.बी. में दर्ज हैं। उक्त मूल मेमोरी कार्ड वजह सबुत होने से जरिए फर्द जब्त किया जाकर सिल्डचिट कर मार्क "M" अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा कब्जे ब्यूरो लिया गया। समय 02.15 पी.एम पर स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी के समक्ष दौराने ट्रेप कार्यवाही उपयोग में ली गई ब्रास-सील का अवलोकन करवाया जाकर ब्रास सील को कार्यालय परिसर के बाहर पहुंच पत्थर से तुड़वाई जाकर नष्ट कर फर्द नमुना व नाशानी नमुना सील मुर्तिब की गई। समय 02.45 पी.एम पर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की 02 सफेद कपडे की थैलियों में रखी सिल्डचिट शुदा सीडीयां मार्क A एवं कागज लिफाफों में रखी 02 सीडीयां, सफेद कपडे की थैली में एक मेमोरी कार्ड सिल्ड चिट शुदा नंग 01 मार्क-M इत्यादी को मालखाना इन्चार्ज श्री गोपाल जोशी हैड कानि को सुपुर्द कर कार्यालय के मालखाना में सुरक्षित रखवाये। समय 03.00 पी.एम पर सीडियां बनाने के सम्बन्ध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 ख का प्रमाण पत्र तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। परिवादी श्री सांवरा लाल मीणा के निवेदन पर गवाहान के समक्ष रिश्वत राशि 1,000/- रुपये मालखाना से निकलवा कर परिवादी

श्री सांवरा लाल मीणा को नियमानुसार लोटाई जाकर रसीद प्राप्त की गई। समय 03.45 पी.एम पर परिवादी श्री सांवरा लाल मीणा व दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री देवेन्द्र कुमार चौधरी, श्री सोनू माली को रुखसत किया गया।

उपरोक्त तथ्यो एवं परिस्थितियो एवं संपूर्ण कार्यवाही से आरोपी श्री घनश्याम लाल खटीक, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत डाबला चांदा, पंचायत समिति शाहपुरा, जिला भीलवाडा द्वारा एक लोक सेवक होते हुए परिवादी, परिवादी की पत्नी व परिवादी की माता के नाम से पुस्तैनी मकान के पट्टे बनाने की एवज में 4,000 रुपये की मांग की गई। जिसकी शिकायत परिवादी द्वारा दिनांक 06.01.2022 को ए.सी.बी. चौकी भीलवाडा-द्वितीय पर की। परिवादी की शिकायत पर दिनांक 07.01.2022 को रिश्वत राशि मांग का सत्यापन कराया जिसमें आरोपी श्री घनश्याम लाल खटीक द्वारा 3600 रुपये की मांग की गई, 2000 रुपये परिवादी ने मांग सत्यापन वार्ता के दौरान आरोपी को दे दिये, शेष के लिये आरोपी ने कहा कि 1600 रुपये और चाहिए जिसमें 600 रुपये की पंचायत कोष की रसीद कटेगी व 1000 रुपये खर्च के लेकर आना। इस प्रकार आरोपी द्वारा परिवादी व उसकी पत्नी व माता के नाम से पुस्तैनी पट्टे बनाने की एवज में 3000 रुपये रिश्वत की मांग कर 2000 रुपये मांग सत्यापन के दौरान ग्रहण करना व 1000 रुपये रिश्वत राशि की और मांग करना मांग सत्यापन वार्ता से प्रमाणित पाया जाने से आरोपी श्री घनश्याम लाल खटीक, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत डाबला चांदा, पंचायत समिति शाहपुरा, जिला भीलवाडा द्वारा अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधन) 2018 का अपराध का कारित करना प्रथम दृष्टिया प्रमाणित पाया जाता हैं।

अतः आरोपी श्री घनश्याम लाल खटीक पुत्र श्री देवबक्ष खटीक उम्र 59 साल निवासी सन्तोष नगर, पुलिस थाना जहाजपुर जिला भीलवाडा हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत डाबला चांदा, पंचायत समिति शाहपुरा, जिला भीलवाडा के विरुद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते क्रमांकन श्रीमान् महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवा में सादर प्रेषित हैं।

भवदीय,




(शिव प्रकाश)

पुलिस उप अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
भीलवाडा-द्वितीय।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री शिव प्रकाश, उप पुलिस अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाड़ा-द्वितीय ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री घनश्याम लाल खटीक, हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत डाबला चांदा, पंचायत समिति शाहपुरा, भीलवाड़ा के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध सख्या 57/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियाँ एफ.आई.आर. नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।


 23.2.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर

कमांक 524-28 दिनांक 23.02.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भीलवाड़ा।
2. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भीलवाड़ा।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाड़ा-द्वितीय।

 23.2.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर